झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
आदेश

संचिका संख्या– 04/आ0–03–1015/2016 46 राँची,दिनांक– 2/2/18

क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, राँची प्रक्षेत्र, राँची के आदेश संख्या–282 दिनांक–14.06.2016 द्वारा विभागीय आवास क्वार्टर संख्या– D/10 श्री नन्दन तिवारी, उच्च वर्गीय लिपिक, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को आवंटित किया गया। परन्तु कार्यपालक अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, हटिया योजना के पत्रांक–1089 दिनांक–08.07.2016 द्वारा विभाग को सूचित किया गया कि श्री सुबोध कुमार शर्मा, उच्च वर्गीय लिपिक, पेयजल एवं स्वच्छता हटिया योजना प्रमण्डल अनाधिकृत रूप से उक्त आवास का ताला तोड़कर आवासित हो गये। उक्त आवंटित आवास D/10 श्री अंबिका प्रसाद सिंह, कनीय अभियन्ता, अरगोड़ा प्रशाखा, हटिया योजना प्रमण्डल के नियंत्रण क्षेत्र में आता है, अतएव उक्त आवास के रख–रखाव की जिम्मेवारी श्री सिंह की है। परन्तु श्री सिंह द्वारा पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में शिथिलता बरती गयी जिस कारण उक्त आवास में अनाधिकृत प्रवेश संभव हो सका और इसे रोकने अथवा श्री शर्मा के आवास खाली कराने के संबंध में श्री सिंह द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया।

2. इस संबंध में विभागीय पत्रांक–3575 दिनांक–04.08.2016 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण पृच्छा की गयी, परन्तु ससमय उनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया। पुनः विभागीय पत्रांक–4149 दिनांक–15.09.2016 द्वारा स्मारित करने के पश्चात् दिनांक–23.09.2016 को स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसपर कार्यपालक अभियन्ता, हटिया योजना, राँची का मंतव्य प्राप्त किया गया। कार्यपालक अभियन्ता, हटिया योजना के पत्रांक–1665 दिनांक–26.11.2016 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध सरकारी कार्यो के प्रति लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं उच्च पदाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने संबंधी प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया।

3. श्री सिंह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण तथा कार्यपालक अभियन्ता से प्राप्त मंतव्य सहित पूरे मामले की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी एवं समीक्षोपरान्त श्री सिंह के विरूद्ध उक्त प्रतिवेदित आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये गये। तदोपरान्त पूरे मामले पर सम्यक् विचारोपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त वर्णित प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के संदर्भ में श्री सिंह के विरूद्ध प्रपत्र–क गठित कर आदेश संख्या–99 सहपठित ज्ञापांक–1197 दिनांक–09.03.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया। विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु श्री इन्द्रदेव मंडल, संयुक्त सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को जाँच संचालन पदाधिकारी तथा विभागीय पक्ष प्रस्तुत करने हेतु श्री राजेश कुमार, अवर सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

4. जाँच संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच पूर्ण कर पत्रांक–2473 दिनांक–29.05.2017 द्वारा जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री सिंह के विरूद्ध प्रपत्र–क में गठित आरोप यथा पदीय कर्त्तव्य के निर्वहन में शिथिलता, अनुशासनहीनता एवं उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना सहित सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम–3 के विरूद्ध आचरण बरतने का आरोप प्रमाणित पाया गया।

5. उक्त प्रमाणित आरोपों के विरूद्ध श्री सिंह से विभागीय पत्रांक–3038 दिनांक–03.07.2017 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री सिंह के पत्रांक–शून्य दिनांक–10.01.2018 द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी, जिसमें पाया गया कि श्री सिंह द्वारा पदीय कर्त्तव्यों के निवर्हन में शिथिलता बरती गयी है। तद्पश्चात् पूरे मामले के

समीक्षोपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध प्रमाणित पाये गये आरोपो हेतु श्री सिंह को "निन्दन" देते हुए विभागीय कार्यवाही निष्पादित करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त लिये गये निर्णय के आलोक में निम्न आदेश दिये जाते हैः–

I. श्री अम्बिका प्रसाद सिंह, कनीय अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रशाखा–अरगोड़ा, हटिया योजना प्रमण्डल, को "निन्दन" की सजा दी जाती है, जिसकी प्रविष्टि श्री सिंह के चारित्री में की जाय।

II. उक्त आदेश के साथ श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति श्री अम्बिका प्रसाद सिंह, कनीय अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रशाखा–अरगोड़ा, हटिया योजना प्रमण्डल एवं अन्य संबंधित को उपलब्ध करायी जाय।

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– 6/2 राँची, दिनांक– 2/2/18

प्रतिलिपि– मा0 विभागीय मंत्री के आप्त सचिव /प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ अभियन्ता प्रमुख /सभी मुख्य अभियन्ता/सभी उप सचिव/ सभी अधीक्षण अभियन्ता (यॉंत्रिक सहित)/सभी अवर सचिव/सभी कार्यपालक अभियन्ता (यॉंत्रिक सहित) / मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–3, एवं 4, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित।

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– 6/2 राँची, दिनांक– 2/2/18

प्रतिलिपि– श्री इन्द्रदेव मंडल, संयुक्त सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग सह जाँच संचालन पदाधिकारी तथा श्री राजेश कुमार, अवर सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग सह उपस्थापन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु0–यथोपरि।

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– 6/2 राँची, दिनांक– 2/2/18

प्रतिलिपि– श्री अम्बिका प्रसाद सिंह, कनीय अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रशाखा–अरगोड़ा, हटिया योजना प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– 6/2 राँची, दिनांक– 2/2/18

प्रतिलिपि–श्री नितिन कुमार, राज्य समन्वयक, (IT) PMU पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के उप सचिव।

02/02/18

C:\Users\word\Desktop\Section-04\Office work\PROCEEDINGS dep\Proceding\Ambika prasad singh - Punishment.docx